(क) रक्षा विभाग

रक्षा विभाग

1 भारत और उसके प्रत्येक विभाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंघटित करने के लिए सहायक हैं।

2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात सेना, नौसेना वायु सेना।

3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।

4. सेना , नौसेना और वायुसेना के रिजर्व ।

5. प्रादेशिक सेना।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।

7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।

8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन ।

9. कैंटीन भंडार विभाग ।

10. रक्षा प्राक्कलनों में वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।

11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।

12. छावनियों की स्थापना, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।

13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी । अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।

14. रक्षा लेखा विभाग।

15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंप गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।

16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं -

(i) तेल बिखराव के प्रति समुद्री क्षेत्र की निगरानी ।

(ii) बंदरगाहों के जल क्षेत्र और अपतटीय खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखराव के प्रति उपाय।

(iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।

(iv) तेल बिखराव आपदा हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और

(v) तेल बिखराव रोकथाम और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य, पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबंद्ध मामले।

18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति ।